कुमारी शोभा बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी वगैरह
रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या 01/2018

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
04–10–2019	पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम – 7 सी.पी.सी. दिनांक 15.1.18 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–22 नियम – 3 सी.पी.सी. दिनांक 13.8.18 के आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम – 7 सी.पी.सी. दिनांक 15.1.18 पर अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुवे बहस के दौरान कहा कि प्रार्थीनी वृद्व सेवा निवृत औरत है जो काफी लम्बे समय से बीमार चल रही थी। जिसके कारण अपील के बारे मे जानकारी नही कर सकी। प्रार्थीनी ने अपील मे पैरवी हेतु अभिभाषक नियुक्त कर रखा था जिनके उपस्थित नही आने के कारण अपील अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दी गई। अतः आदेश दिनांक 11.4.2017 को निरस्त कर पत्रावली पुन नम्बर पर ली जाकर सुनवाई का आदेश फरमावे। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. दिनांक 13.8.18 पर अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुवे बहस के दौरान कंहा कि प्रार्थीनी शोभा का दिनांक 16.4.2018 को निधन हो चुका है जिसके जाईन्दा संतान नही है। वह जीवन पर्यन्त अविवाहित रही थी। स्व. शोभा ने वादगत सम्पति के सम्बन्ध मे एक वसीयत दिनांक 6.11.2017 को कार्यालय उपपंजीयक बीकानेर मे प्रार्थीनी श्रीमती भीम पत्नी श्री हरीश गुप्ता के पक्ष में वसीयत की थी। स्व. शोभा की अंतिम इच्छा के अनुसार वारिस है/ हितबद्व पक्षकार है। अतः शोभा के स्थान पर प्रार्थीनी को बतौर अपीलान्ट सुस्थापित किए जाने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी श्रीमती लक्ष्मी देवी के अभिभाषक ने दिनांक 4.9.18 को जवाब पेश कर आवेदन रेस्टोरेशन एव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. दोनो खारिज करने का निवेदन किया लेकिन बहस के दौरान वे अनुपस्थित रहें। हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस, सम्पूर्ण मामले, उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन किया। दोनो प्रार्थना पत्र पर न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :– अभिभाषक प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम – 7 सी.पी.सी. दिनांक 15.1.18 मे कथन किया कि प्रार्थीनी वृद्व औरत है तथा अपील मे पैरवी हेतु नियुक्त अभिभाषक के उपस्थित नही आने के कारण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 .....लगातार.....	

माननीय आयुक्त
बीकानेर

सी.पी.सी. दिनांक 13.8.18 मे कथन किया कि प्रार्थीनी शोभा का दिनांक 16.4.2018 को निधन हो चुका है उसके कोई संतान नही है। वह अविवाहित थी। स्व. शोभा ने एक वसीयत दिनांक 6.11.2017 को श्रीमती भीम पत्नी श्री हरीश गुप्ता के पक्ष में की थी। इसलिए स्व.शोभा के स्थान पर श्रीमती भीम को अपीलान्ट सुस्थापित किए जावे।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.4.2017 को अभिभाषक अपीलान्ट एव स्वय अपीलान्ट के उपस्थित नही आने पर पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई थी। इसके बाद दिनांक 15.1.18 को प्रार्थी शोभा की ओर से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इतने समय बाद अभिभाषक प्रार्थी की ओर से रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणो से हम संतुष्ट नही है। इसके अलावा प्रार्थी शोभा का भी दिनांक 16.4.2018 को निधन हो चुका है तथा उसके कोई संतान नही है, वह अविवाहित बताई जा रही है। केवल वसीयत के आधार पर श्रीमती भीम पत्नी श्री हरीश गुप्ता, निवासी अलख सागर रोड़ बीकानेर, शोभा के स्थान पर अपीलान्ट बनाना चाहती है, जो उचित नही है।

अतः अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पेश रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम – 7 सी.पी.सी. दिनांक 15.1.18 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. दिनांक 13.8.18 दोनो खारिज किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली एल आर एक्ट संख्या 166/2017 में सलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

अधीनस्थ को आदेश की प्रति भेजी 259-260 14-10-19

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:56:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: